राजस्थान–सरकार

निदेशालय, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग

'बीमा भवन' सवाई जयसिंह हाईवे,बनीपार्क,जयपुर।

क्रमांकः एफ. 93/पार्ट–2/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2019/लूज 146-192 दिनांकः 28/5/2020

सयुंक्त/उप/सहायक निदेशक

राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,

समस्त जिला कार्यालय।

विषयः– उपकोष कार्यालयों के वेतन बिलों को ऑनलाईन पारित करने बाबत।

महोदय,

उपकोष कार्यालयों के वेतन बिलों से होने वाली विभागीय योजनाओं की कटौतियों की जांच विभागीय बीमा सहायकों द्वारा की जाती है। उपकोष कार्यालायों में बीमा सहायक माह में केवल दो बार ही वेतन बिल पारण हेतु भ्रमण पर जाते हैं जिससे वेतन बिल पारित करने में अनावश्यक विलम्ब होता है, दूसरी ओर चूंकि वर्तमान में वैश्विक माहमारी कोविड़–19 के कारण कोष/उपकोषालयों में वेतन बिलों की हार्ड कॉपी भी प्राप्त नहीं हो रही है, जिससे बीमा सहायकों को उपकोषालयों में बिल पारण हेतु भिजवाने का कोई औचित्य नहीं है।

इस संबंध में आईएफएमएस तथा एनआईसी की तकनीकी टीम द्वारा विभाग को समय–समय पर अवगत करवाया गया है कि पे–मैनेजर/पीआरआई पे–मैनेजर पॉर्टल पर विभागीय योजनाओं से संबंधित समस्त चैक्स एवं वेलिडेशन्स का पूर्ण प्रावधान करवा दिया गया है तथा वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर कोष एवं लेखा विभाग द्वारा राजकोष पर ऑनलाईन वेतन बिल जॉच की नवीन सुविधा उपलब्ध करवा दिए जाने पर उपकोष कार्यालयों में प्राप्त वेतन बिलों की जांच बीमा सहायकों द्वारा दिनांक 01 जून, 2020 से ऑनलाईन ही की जायेगी, जिसकी कार्य प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

(1) <u>जिलाधिकारी के स्तर</u> पर– जिलाधिकारी कोष कार्यालय से संवाद स्थापित कर जिलास्तरीय एवं उपकोष कार्यालयों के बीमा सहायकों हेतु आवश्यकतानुसार लॉगिन प्राप्त करेंगें। जिलाधिकारी बीमा सहायकों को प्राप्त वेतन बिलों को समयानुसार पारित करवाना सुनिश्चित करेंगे। जिलाधिकारी राजकोष पर Insurance Assistant Report में उपकोष कार्यालयों के वेतन बिलों के पारण से सम्बन्धित रिपोर्ट्स एवं बिल स्टेट्स देख सकेगें।

(2) <u>बीमा सहायक के स्तर पर</u>– बीमा सहायक उपकोष कार्यालयों के वेतन बिल पारित करने हेतु प्राप्त युजर एक्सेस के माध्यम से राजकोष पर लॉगिन करेंगे। राजकोष में Insurance Assistance पर जाकर सम्बन्धित उपकोष कार्यालय को सलेक्ट कर सर्च करेंगे जिससे उन्हें लम्बित वेतन बिलों की सुची प्राप्त हो जायेगी। उक्त सुची में वेतन बिल को उपलब्ध लिंक/टोकन नम्बर से डाउनलोड करके विभागीय नियम एवं प्रक्रियानुसार आवश्यक जांच करेंगे। वेतन बिल सही पाए जाने पर Forward/Pass कर देंगे। किसी वेतन बिल में कमी होने पर Objection पर Click करने पर उपलब्ध बॉक्स में Objection के कारण का अंकन कर बिल रिवर्ट कर देंगे। कोष/उप कोष कार्यालय के ऑडिटर द्वारा बीमा सहायक को प्रेषित वेतन बिलों पर यथा समय कार्यवाही (Forward/ Objection) करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित बीमा सहायक की होगी।

अतः समस्त जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि उपकोष कार्यालयों में बीमा सहायकों को भ्रमण पर न भिजवाकर कोष कार्यालयों में पदस्थापित विभागीय कर्मचारियों अथवा अपने कार्यालय में ही बीमा सहायकों से विभागीय नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार दिनांक 01 जून, 2020 से वैकल्पिक आधार पर ऑनलाईन प्रोसेस के तहत वेतन बिल पारित करवाना सुनिश्चित किया जावें।

भवदीय

www.rajteachers.com

(आनन्द स्वरूप)

निदेशक

Ph: 0141-2206333 Website: www.sipf.rajasthan.gov.in mail: add.sys.sipf@rajasthan.gov.in

क्रमांकः एफ. 93/पार्ट–2/कम्प/ऑनलाईन प्रोसेस/2019/लूज 193-212 दिनांकः 28/5/2020

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बीमा) विभाग, शासन सचिवालय,जयपुर के पत्र क्रमांक प. 4(8) वित्त/राजस्व/2005 लूज – I, जयपुर दिनांक 02.03.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
2. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रा.नि.विभाग, राज.जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग,राजस्थान,जयपुर।
4. अतिरिक्त निदेशक आईएफएमएस को प्रेषित कर अनुरोध है कि आपके अधीनस्थ कोष/उपकोष कार्यालयों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने एवं बीमा सहायकों को उक्त नवीन प्रक्रिया की जानकारी प्रदान करने बाबत निर्देशित करने का श्रम करावें।
5. वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, सतर्कता/बीमा/जीपीएफ/एनपीएस/प्रशासन/जीआईएस/विधि एवं प्रशिक्षण।
6. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर को भेजकर अनुरोध है कि विभाग के जिला कार्यालयों को उपकोषालयों के ऑनलाईन वेतन बिल पारित करने हेतु एक्सेस राईट्स उपलब्ध करवाकर उक्त नवीन प्रक्रिया को लागू करावें।
7. वरिष्ठ अतिरिक्त/अतिरिक्त निदेशक समस्त संभाग कार्यालयों को भेजकर लेख है कि उक्त नवीन व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करावें।

(धनलाल शेरावत)
अतिरिक्त निदेशक,सिस्टम

www.rajteachers.com